भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2678

09 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

2678. श्री कानुमुरू रघु राम कृष्णराजूः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार किसानों से खाद्यान्न नहीं खरीद रही है जिससे किसानों को अपने उत्पादन को बेचने में गंभीर समस्या आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का कृषि क्षेत्र में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री)

(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): जी, नहीं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के माध्यम से उन फसलों की खरीद की जाती है जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की जाती है। जहां तक अनाजों/पोषक अनाजों का संबंध है, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली के माध्यम से उनकी खरीद मुख्यत: जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत वितरण के लिए और कल्याणकारी योजनाओं और खाद्य सुरक्षा हेतु बफर भंडारण के लिए की जाती है। सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न खरीद का उद्देश्य यह है कि किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हो और उन्हें मजबूरीवश कम दाम पर अपना उत्पाद नहीं बेचना पड़े।

इसके अलावा, किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और प्रायौगिक निजी खरीद और भंडारकर्ता योजना (पीपीएसएस) को मिलाकर एक नई समग्र योजना "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान" (पीएम-आशा) शुरू की है। पीएसएस का कार्यान्वयन दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए किया जाता है। तिलहन के लिए,राज्यों के पास

विकल्प होता है कि वे पूरे राज्य के लिए किसी विशेष तिलहन फसल के संबंध में किसी दिए हुए खरीद मौसम में पीएसएस और पीडीपीएस में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।

पीएसएस का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर किया जाता है जो योजना के दिशा-निर्देशों की अपेक्षानुसार दलहन, तिलहन और कोपरा के खरीदे गये जिन्सों को मंडी कर से छूट देने तथा बोरियों सहित लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने में केन्द्रीय नोडल एजेन्सियों की सहायता करने, राज्य एजेन्सियों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने, पीएसएस प्रचालनों के लिए चक्रीय निधि के सृजन करने आदि पर सहमत होती है। इन जिन्सों की खरीद केन्द्रीय नोडल एजेन्सियों द्वारा राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर तथा विहित अवधि के भीतर और निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानकों का पालन करते हुए सीधे किसानों से तब की जाती है जब मूल्य एमएसपी से कम हो जाते हैं।

पीएसएस के तहत, 2018-19 के दौरान (24 जून, 2019 तक),18.09 लाख टन तिलहन और 19.31 लाख टन दलहन की खरीद की गई है।

खरीफ विपणन मौसम 2018-19 के लिए (19 जून, 2019 तक), 432.3 लाख टन चावल और रबी विपणन मौसम 2019-20 (19 जून, 2019 तक) के लिए 340.6 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है।

(ख) और (ग): डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग (एनसीएफ) ने 2006 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। आयोग ने 'प्रारूप राष्ट्रीय कृषक नीति' भी तैयार की थी। सरकार ने 2007 में 'राष्ट्रीय कृषक नीति' (एनपीएफ-2007) को अनुमोदित किया था। इस नीति का उद्देश्य कृषि की आर्थिक प्रायोज्यता बढ़ाना और किसानों की निवल आय बढ़ाना है।

एनपीएफ-2007 के नीति प्रावधानों में शामिल प्रावधान हैं (i) भूमि, जल, पशुधन, मत्स्यन और जैव संसाधनों के संबंध में परिसम्पत्ति सुधार; (ii) अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों और रोगमुक्त पौधारोपण सामग्री की आपूर्ति; (iii) किसानों को मृदा स्वास्थ्य पासबुक और एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणालियाँ जारी करना; (iv) क्षेत्र और फसल विशिष्ट औजार और मशीनरी; (v) महिलाओं के लिए सहायता सेवाएं; (vi) उचित ब्याज दर पर संस्थागत ऋणऔर किसान हितैषी बीमा नीतियों की समय पर, पर्याप्तमात्रा में और आसान उपलब्धता; (vii) सहयोगीतकनीकों के उपयोग जैसी सहायता सेवाएं और आदान; (viii) कृषि जैव सुरक्षा प्रणाली; (ix) कृषि विस्तार प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग औरफार्म स्कूलों की स्थापना; (x) एक व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसानों को शामिल करना; (xi) पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का प्रभावी कार्यान्वयन और सामुदायिक खाद्यान्न बैंकों की स्थापना; (xii) कृषि बाजार अवसंरचनाऔर कृषि के लिए टर्मिनल बाजारों का विकास; (xiii) कृषि विश्वद्यालयों में पाठयक्रम सुधार; (xiv) जैविक खेती और संविदा

खेती जैसी खेती की विशेष श्रेणियां; (xv) कृषक परिवारों के लिए ग्रामीण गैर फार्म नियोजन पहल; और (xvi) ग्रामीण ऊर्जा के लिए एकीकृत उपागम, आदि।

कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित एक अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) ने एनपीएफ-2007 के 201 कार्य बिन्दुओं की पहचान की थी जिनके संबंध में कार्रवाई आवश्यक थी। इस प्रकार चिन्हित 201 कार्य बिन्दुओं में से 200 का अब तक क्रियान्वयन किया जा चुका है।

*****